



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

ALLAHABAD BANK

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

असाधारण आम सभा की सूचना

तिथि : मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2013

समय : 10.30 बजे पूर्वाह्न

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Date : Tuesday, 24th December, 2013

Time : 10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

वेबसाइट : <http://www.allahabadbank.in>

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Website : <http://www.allahabadbank.in>



इलाहाबाद बैंक

ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

सूची/INDEX	पृष्ठ सं./Page No.
नोटिस/Notice	3-6
व्याख्यात्मक विवरण/Explanatory Statement (s)	7-10
उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र Attendance Slip-cum-Entry Pass	11-12
परोक्षी फार्म/Proxy Form	13-14

महत्वपूर्ण तारीखें/कार्यक्रम/IMPORTANT DATES/PROGRAMME

असाधारण आम सभा की तारीख और समय Date and time of Extraordinary General Meeting	मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे Tuesday, the 24 th December, 2013 at 10.30 A.M.
सभा-स्थल Venue of the Meeting	पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आई बी-201, सेक्टर-III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106 Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106
संगत तारीख Relevant Date	शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2013 Friday, the 22 nd November, 2013
परोक्षी फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए संकल्प प्राप्त करने हेतु अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2013 Thursday, the 19 th December, 2013



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम सभा मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे पुर्बश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, भारतीय मल्टीप्लेक्स, आई बी-201, सेक्टर-III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

मद सं 1 :

(क) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित, ₹ 79.72 (रुपए उन्नीस एवं पैसे बहत्तर मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹ 89.72 (रुपए नवासी एवं पैसे बहत्तर मात्र) के निर्गम मूल्य पर, प्रत्येक के इक्विटी शेयर ₹ 10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर 4,45,83,147 (चार करोड़ पैतालिस लाख तिरासी हजार एक सौ सैतालिस) इक्विटी शेयर नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 400.00 करोड़ (रुपए चार सौ करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु निर्मांकित संकल्प (पों) को अशोधन (नों) सहित अथवा रहित, यदि उचित पाया जाए विशेष संकल्प (पों) के रूप में पारित करने हेतु :

“यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘अधिनियम’ कहा गया है) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘योजना’ कहा गया है) एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बँठकें) विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), एवं/अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण अपेक्षा संबंधी प्रकरण) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संगत प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन तथा स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘बोर्ड’ कहा गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जा सकने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित, ₹ 79.72 (रुपए उन्नीस एवं पैसे बहत्तर मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹ 89.72 (रुपए नवासी एवं पैसे बहत्तर मात्र) के निर्गम मूल्य पर, प्रत्येक के इक्विटी शेयर ₹ 10/- (रुपए दस मात्र) एवं पैसे बहत्तर मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹ 89.72 (रुपए नवासी एवं पैसे बहत्तर मात्र) के निर्गम मूल्य पर, प्रत्येक के इक्विटी शेयर नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 400.00 करोड़ (रुपए चार सौ करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्वारा दी जाती है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संगत तारीख शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2013 है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार अधिमानता आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के तहत वर्णित अवरुद्धता (लॉक-इन) अपेक्षाओं के अधीन जारी किए जाएंगे तथा हर दृष्टि से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों (लाभांश सहित) के समकक्ष होंगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल निर्गम को जारी करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं चीजें करने, जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसे आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें, जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

मद सं 2 :

सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 85(1) तथा अन्य प्रयोग्य विधि, विनियम, यदि कोई हो तो, के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित ₹ [●] के प्रीमियम सहित, ₹ [●] निर्गम मूल्य पर, प्रत्येक इक्विटी शेयर ₹ 10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर [●] संख्या में इक्विटी शेयर नकद आधार पर, ₹ 320.00 करोड़ (₹ तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तक अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान (क्यूआईपी) के आधार पर इस रीति से ताकि, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में कम से कम 55.24% भाग बना रहे, को सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु निर्मांकित संकल्प (पों) को अशोधन (नों) सहित अथवा रहित, यदि उचित पाया जाए विशेष संकल्प (पों) के रूप में पारित करने हेतु :

“यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘अधिनियम’ कहा गया है) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘योजना’ कहा गया है) एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बँठकें) विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), एवं/अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण अपेक्षा संबंधी प्रकरण) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) एवं भारतीय रिजर्व बैंक और समस्त अन्य संगत प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर तथा अन्य सभी प्रयोग्य विधि, नियमों एवं विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘बोर्ड’ कहा गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जा सकने वाली



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA - 700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Tuesday, the 24th December, 2013 at 10.30 A.M. at Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106, to transact the following business(es):

ITEM No. 1:

To create, offer, issue and allot upto 4,45,83,147 (Four Crore Forty Five Lac Eighty Three Thousand One Hundred and Forty Seven) equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each for cash at an Issue Price of ₹ 89.72 (Rupees Eighty Nine and Paise Seventy Two only) per equity share including premium of ₹ 79.72 (Rupees Seventy Nine and Paise Seventy Two only) as determined by the Board / Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating upto ₹ 400.00 Crore (Rupees Four Hundred Crore only) on preferential basis to Government of India (President of India) and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution(s) as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto 4,45,83,147 (Four Crore Forty Five Lac Eighty Three Thousand One Hundred and Forty Seven) equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each for cash at an Issue Price of ₹ 89.72 (Rupees Eighty Nine and Paise Seventy Two only) per equity share including premium of ₹ 79.72 (Rupees Seventy Nine and Paise Seventy Two only) as determined by the Board/ Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, aggregating upto ₹ 400.00 Crore (Rupees Four Hundred Crore only) on preferential basis to the Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Friday, the 22nd November, 2013.**"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to Lock-in requirements prescribed under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall rank *pari passu* in all respect (including dividends) with the existing equity shares of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in her/his absence to any of the Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

ITEM No. 2:

To create, offer, issue and allot upto [●] number of equity shares of the face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each for cash at an Issue Price of ₹ [●] per equity share including premium of ₹ [●] per equity share as determined by the Board/ Committee in accordance with Regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹ 320.00 Crore (Rupees Three Hundred and Twenty Crore only) to Qualified Institutional Buyers on Qualified Institutions Placement (QIP) basis in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 55.24 % (i.e. their existing shareholding) of the paid-up Equity Capital of the Bank and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution(s) as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and other applicable Laws, Rules and Regulations and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto [●] number of equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each for cash at an



समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियमों, यदि कोई हो तो, के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित ₹ [●] प्रति इक्विटी शेयर जिसमें ₹ [●] प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है, ₹ [●] निर्गम मूल्य पर, प्रत्येक इक्विटी शेयर ₹ 10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर [●] इक्विटी शेयरों की संख्या तक नकद आधार पर, ₹ 320.00 करोड़ (रुपए तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तक एक या अधिक हिस्सों में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान (क्यूआईपी) के आधार पर, इस रीति से सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्वारा दी जाती है, ताकि, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में कम से कम 55.24% (अर्थात् उनकी विद्यमान शेयरधारिता) भाग बना रहे।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि उक्त क्यूआईपी इश्यू अद्यतन यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि प्रस्तावित इक्विटी शेयर सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII में वर्णित सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII की परिभाषा के तहत मात्र अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही जारी एवं आबंटित किया जाएगा, इस संकल्प के अनुसार जारी एवं आबंटित इक्विटी शेयर पूर्णतः पेड-अप होंगे एवं इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 (बारह) महीनों के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि उक्त क्यूआईपी इश्यू के निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संगत तिथि का निर्धारण सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुरूप किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि अप्रवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नया इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटन किया जाना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 यथा प्रयोज्य एवं अधिनियम के तहत घोषित समग्र सीमाओं के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बँडके) विनियम 1999, समय-समय पर यथा संशोधित, के अधीन होंगे तथा लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर, ऐसी घोषणा किए जाने के समय प्रभावी सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुरूप, प्रत्येक दृष्टि से समकक्ष होंगे।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल निर्गम को जारी करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं चीजें करने, जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसे आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें, जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना, यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपने में निहित किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी एक कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत है एवं एतद्वारा किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इलाहाबाद बैंक

(ए. ए. पानसे)

(शुभलक्ष्मी पानसे)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 नवम्बर, 2013

टिप्पणियाँ :

1. व्याख्यात्मक विवरण : बैठक में की जाने वाली कार्यवाही(हियों) से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं पर व्याख्यात्मक विवरण एतद्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।
2. परोक्षी की नियुक्ति : बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैठक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।
तथापि, ऐसे नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
कोई ऐसा व्यक्ति परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो इलाहाबाद बैंक का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।
इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बँडके) विनियम, 1999 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी के लिखत के प्रदाता को बैठक में, जो ऐसी लिखत से संबंधित हो, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मत देने का अधिकार नहीं होगा।
परोक्षी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में असाधारण आम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2013 को कार्य समय की समाप्ति या उससे पहले अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे अथवा इससे पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए।
3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति : कोई व्यक्ति, किसी निर्गमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित नहीं की गई है, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001, में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2013 को कार्य समय की समाप्ति या उससे पहले अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त न हो जाए।
4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र : शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे सभा-स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' का उल्लेख करें।



Issue Price of ₹ [●] per equity share including premium of ₹ [●] per equity share as determined by the Board/ Committee in accordance with Regulation 85 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹ 320.00 Crore (Rupees Three Hundred and Twenty Crore only) in one or more tranches to Qualified Institutional Buyers on Qualified Institutions Placement (QIP) basis in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 55.24 % (i.e. their existing shareholding) of the paid-up Equity Capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the said QIP issue shall be made in accordance with the provisions under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended upto date."

"RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the proposed equity shares shall be issued and allotted only to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the equity shares to be issued and allotted pursuant to this resolution shall be fully paid-up and the allotment of equity shares shall be completed **within 12 (twelve) months from the date of this resolution.**"

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the determination of the floor price of the said QIP issue shall be fixed in accordance with Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/ SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or to other eligible foreign investors will be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in her/his absence to any of the Executive Director(s) of the Bank or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors
For Allahabad Bank

(Shubhalakshmi Panse)
Chairman & Managing Director

Place: Kolkata

Date : 23rd November, 2013

NOTES:

1. Explanatory Statement (s)

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business (es) of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.

As per Regulation 70(vi) of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received at the Share Department & Investors' Grievance Cell, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 **not less than FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 P.M. on Thursday, the 19th December, 2013.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Share Department & Investors' Grievance Cell, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 **not less than FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 P.M. on Thursday, the 19th December, 2013.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.



व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 1 :

अधिमानी आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को ईक्विटी शेयरों का निर्गम :

ए) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य

बैंक को परिवर्तनशील व्यावसायिक परिदृश्य में बढ़ते हुए अपने व्यावसाय स्तर की पूर्ति करने एवं बासेल-III के मानदंडों का अनुपालन करने के उद्देश्य से तत्काल अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, विशेषकर बासेल-III के मानदंडों के कार्यान्वयन हेतु। जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

बी) प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संगत तिथि 22 नवंबर, 2013 है।

सी) अद्यतन यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII में अधिमानी निर्गम हेतु यथा प्रयोज्य यथा उल्लिखित विनियम के अनुसार निर्गम मूल्य निर्धारित किया गया है।

डी) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22.10.2013 के अपने पत्रांक एफ.सं. 11/13/2011-बीओए के माध्यम से बैंक में ₹ 400.00 करोड़ (रुपए चार सौ करोड़ मात्र) की पूंजी निधि लगाने के अपने निर्णय से अवगत कराया है। अतएव, समस्त अधिमानी निर्गम भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) -बैंक प्रमोटर द्वारा अभिदत्त किया जाएगा।

ई) निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता पैटर्न

क्रम सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के पश्चात	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)
ए	प्रमोटर शेयरधारिता (भारत सरकार)	276215418	55.24	320798565	58.90
बी	गैर प्रमोटर शेयरधारिता	223810771	44.76	223810771	41.10
	कुल	500026189	100.00	544609336	100.00

एफ) बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में यथा दर्शित निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्गम प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगा।

जी) चूंकि समस्त निर्गम भारत सरकार, बैंक का प्रमुख शेयरधारक और प्रमोटर, को जारी किए जा रहे हैं, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत सरकार के निर्गम पूर्व और पश्चात की शेयरधारिता निम्नवत होगी।

	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)
निर्गम पूर्व	276215418	55.24
निर्गम पश्चात	320798565	58.90

एच) बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध हुए छब्बीस सप्ताह (छह माह) से अधिक का समय हो गया है और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

आई) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को जारी एवं आबंटित सभी प्रस्तावित नए ईक्विटी शेयर व्यापारिक अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु अवरुद्ध रहेंगे।

जे) सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि यह निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी किया जा रहा है, असाधारण आम सभा में रखा जाएगा।

के) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित सभी शेयर डी-मैट रूप में है और बैंक उन स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीबद्धता करार में यथा निर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों के लगातार सूचीबद्ध किए जाने की शर्तों को अनुपालन कर रहा है। भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) ने संगत तिथि से पूर्व छह महीने के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है।

एल) चूंकि बैंक के ईक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध हैं, अतः सूचीबद्धता करार के खंड 23 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति जारी करने का अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा किया जाना अनिवार्य है, यदि इसे आनुपातिक आधार पर उन्हें पेश नहीं किया गया हो।



EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 1:

ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO GOVERNMENT OF INDIA (PRESIDENT OF INDIA) ON PREFERENTIAL BASIS:

a) Objects of the Preferential Issue

To cater to its increasingly growing business level in the changing business scenario as well as to comply with the BASEL-III norms, the bank needs additional capital immediately, particularly for implementation of BASEL-III norms. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

b) The Relevant Date for ascertaining the Issue Price of the proposed preferential issue is 22nd November, 2013.

c) The Issue Price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended upto date.

d) The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F.No. 11/13/2011-BOA dated 22.10.2013, has conveyed its decision to infuse capital funds in the Bank to the tune of ₹ 400.00 Crore (Rupees Four Hundred Crore only). **As such the entire preferential issue will be subscribed by the Government of India (President of India) – the Promoter of the Bank.**

e) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	Percentage of Shareholding (%)	No. of Shares	Percentage of Shareholding (%)
A	Promoter's Holding (Government of India)	276215418	55.24	320798565	58.90
B	Non-Promoters' Holding	223810771	44.76	223810771	41.10
	Total	500026189	100.00	544609336	100.00

f) The Bank will endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

g) As the entire issue is being made to the Government of India (President of India), the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (President of India) would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Shareholding (%)
Pre- issue	276215418	55.24
Post -issue	320798565	58.90

h) The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks (six months) and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

i) All the new equity shares proposed to be issued and allotted to the Government of India (President of India) shall be locked-in for a period of three years from the date of Trading Approval.

j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

k) All the shares held by the Government of India (President of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares, as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India (President of India) has not sold any equity share of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l) As the equity shares of the Bank are listed with the Stock Exchanges pursuant to Clause 23 of the Listing Agreement, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.



एम) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों का मूल्य पुनःसंगणित करने के लिए, जहाँ ऐसा करना अपेक्षित है, बैंक वचनबद्ध है।

एन) बैंक वचनबद्ध है कि यदि मूल्य पुनःसंगणन के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समयावधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो विशिष्ट प्रतिभूतियाँ तब तक अवरुद्ध रहेंगी जब तक आर्बिट्री द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता।

निदेशक मंडल इस नोटिस की कार्यसूची मद सं. 1 में यथा वर्णित विशेष संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प(पों) में रुचि अथवा संबंध नहीं है।

मद सं. 2 :

अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत 'खरीदारों' को इक्विटी शेयर जारी करना

ए) उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के बाद और विभिन्न प्रकार के टीयर-I और टीयर-II लिखतों के माध्यम से बैंकों को उनकी पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने वाले दिनांक 29.10.2007 के संदर्भ सं. डीबीओडी सं.बीपी.बीसी. 42/21.01.002/2007-08 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन(क्यूआईपी) के रूप में एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में शेयर निर्गमित करके ₹ 320.00 करोड़ (रुपए तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तक की पूंजी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है बशर्ते, कि यह बैंक के सर्वोत्तम हित में यथा उचित शर्तों के अनुरूप, इस प्रकार हो कि बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की शेयरधारिता 55.24% (अर्थात् उनकी वर्तमान शेयरधारिता) से कम न हो।

बी) यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अलावा, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के रूप में इक्विटी शेयरों का निर्गम, इस संबंध में प्रयोज्य सभी कानून, नियम, विनियम, सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों के साथ-साथ भारत सरकार एवं/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति/अनुमोदन के अधीन होगा।

सी) यह संकल्प सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII में यथा परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के साथ शेयरों के अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन हेतु निदेशक मंडल को शक्ति प्रदान करना चाहता है। निदेशक मंडल, अपने विवेक से, शेयरधारकों से नए अनुमोदन मांगे बिना बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अंतर्गत यथा निर्धारित इस प्रणाली को अपना सकता है।

डी) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसार, क्यूआईपी आधार पर, शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम उसी मूल्य पर किया जा सकता है जो कि "संगत तिथि" के पूर्ववर्ती दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज(जों) में उद्धृत शेयरों की अंतिम कीमतों के साप्ताहिक अधिक व कम के औसत से कम न हो।

ई) "संगत तिथि" का अभिप्राय उस बैठक की तिथि से है जिसमें बैंक का बोर्ड अथवा समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है।

एफ) इक्विटी शेयरों के निर्गमन, जब कभी किया जाता है, हेतु विस्तृत शर्तें बोर्ड द्वारा व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों, अन्य विचारिलियों तथा बैंक द्वारा यथा अपेक्षित समझे जाने वाले ऐसे अन्य प्राधिकारियों से परामर्श और बाजार की प्रचलित स्थितियों और अन्य संगत घटकों पर विचार करके निर्धारित की जाएंगी। प्रस्तावित संकल्प बोर्ड को ऐसे समय या समयों पर, ऐसी कीमत या कीमतों पर एवं उसमें यथा उल्लिखित ऐसे निवेशकों को, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, इक्विटी शेयर निर्गमित करने की शक्ति प्रदान करना चाहता है।

जी) यथा उपरोक्त कारणों के लिए, निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु एवं बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेक प्रदान करने हेतु एक समर्थकारी संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

एच) जारी किए गए शेयर सभी दृष्टियों में डिजिटल सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समतुल्य होंगे।

आई) इस प्रयोजनार्थ, बैंक को विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल इस नोटिस की कार्यसूची मद सं. 2 में यथा वर्णित विशेष संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा और पूंजी जुटाने में उनकी सहभागिता, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प(पों) में रुचि अथवा संबंध नहीं है।



m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, where it is required to do so.

n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 1 of the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank .

Item No. 2:

ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS THROUGH QIP.

- a) After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOD.No.BP.BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹ 320.00 Crore (Rupees Three Hundred Twenty Crore only) (including premium) by issuing equity shares by way of Qualified Institutions Placement (QIP) in one or more tranches and subject to terms and conditions as may deem fit in the best interest of the Bank in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 55.24 % (i.e. their existing shareholding) of the paid-up Equity Capital of the Bank.
- b) It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutions Placement (QIP) would be subject to compliance of all applicable laws, rules, regulations, statutory/regulatory guidelines in this regard and also subject to necessary permission/approval from the Government of India and/or Reserve Bank of India.
- c) The Resolution seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutions Placement of shares with Qualified Institutions Buyers as defined in Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under SEBI (ICDR) Regulations, 2009 for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- d) In terms of Chapter VIII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, issue of shares/securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on the stock exchange(s) during the two weeks preceding the "Relevant Date".
- e) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
- f) The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors, other intermediaries and such other authorities as may be required to be considered by the Bank, considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The proposed Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.
- g) For the reasons as aforesaid, an enabling resolution is proposed, so as to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- h) The equity shares issued shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- i) For this purpose the Bank is required to obtain the consent/approval of the shareholders by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 2 of the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank and their participation in the raising of capital, if any.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700001

उपस्थिति पर्ची

(सभा-स्थल पर प्रवेश के समय इसे दिया जाए)

दिन एवं दिनांक : मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2013

समय :

स्थान : ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आई बी-201, सेक्टर-III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106

मैं एतद्वारा 24 दिसम्बर, 2013 को आयोजित इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

शेयरधारक(कों)/परोक्षी/शेयरधारक(कों) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही हस्ताक्षर करें जो बैंक के सदस्यों/शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जॉच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the venue)

Day & Date : Tuesday, the 24th December, 2013

Time :

Place : Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106

I hereby record my presence at Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Allahabad Bank, held on 24th December, 2013.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative Present	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Shareholder(s)/proxy/authorized representative of shareholder(s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the members'/shareholders' register of the Bank), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

ALLAHABAD BANK

Entry Pass

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative Present	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक/सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं. एवं डीपीआईडी सं./क्लाइंट आईडी सं. _____

मैं/हम राज्य के जिले में
स्थित का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयर/शेयरों के धारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के
जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उसकी अनुपस्थिति
में राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती
को 24.12.2013 को पूर्वाह्न 10.30 बजे पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आई बी-201, सेक्टर III
सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त
आयोजित बैठक में मेरे/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

इस पर 2013 के दिन हस्ताक्षर किए।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाएं

परोक्षी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
 - (ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा अथवा, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - (बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - (सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस परोक्षी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान अंकित करता है, वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- परोक्षी के साथ
 - (ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित है, या
 - (बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) की प्रति असाधारण आम सभा की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2013 को कार्य समय की समाप्ति या उससे पहले अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संगत मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया गया हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी परोक्षी पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म - 'बी' पर न हो।



ALLAHABAD BANK
Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"

Form for Proxy

(To be filled in and signed by the shareholder/member)

Regd. Folio No./ DPID & Client ID _____

I/We _____ resident/s of _____
 _____ in the district of _____ in the state of _____
 _____ being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/
 Smt. _____ resident of _____
 _____ in the district of _____
 _____ or failing him/her. Shri/Smt _____ resident of _____
 _____ in the district of _____ in the state of _____
 — as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the
 Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 24-12-2013 at 10.30 A.M. at Eastern Zonal Cultural
 Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106, and at any
 adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013

Please affix
 One Rupee
 Revenue
 Stamp

.....
 Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name
 Address.....

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by an attorney duly authorized in writing.
 - (b) in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first name in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate should be deposited at the Share Department & Investors' Grievance Cell, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, not later than **FOUR Days** before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 P.M. on Thursday, the 19th December, 2013.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

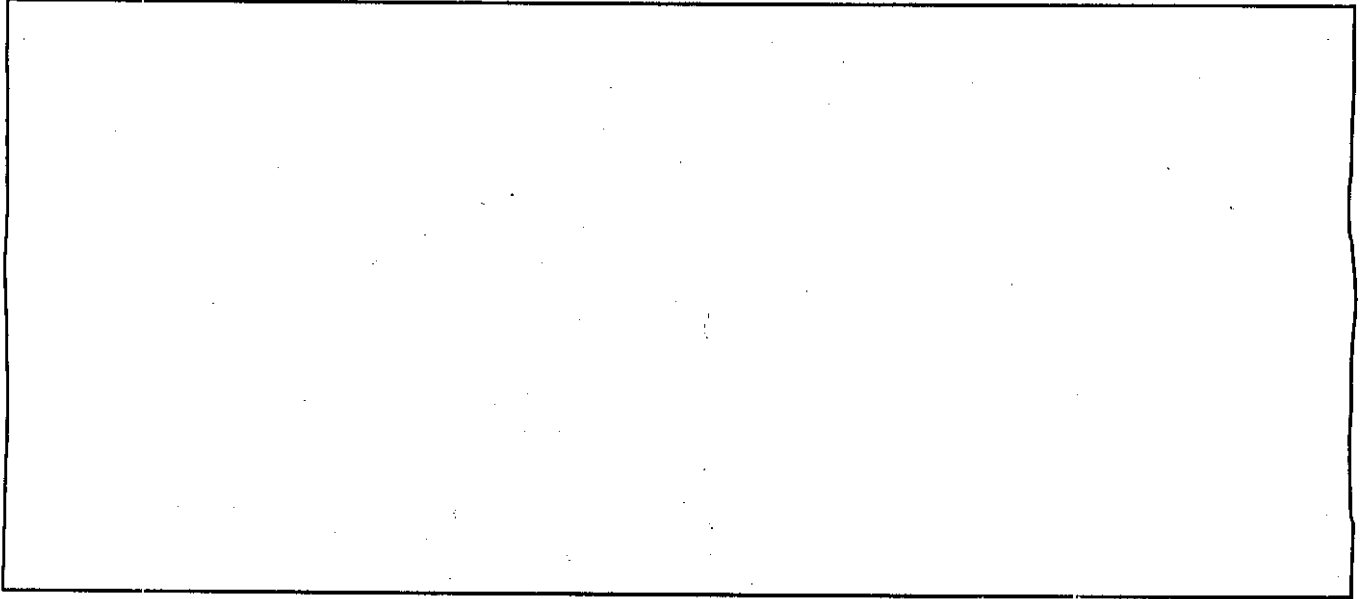


जानबूझकर खाली छोड़ा गया
LEFT INTENTIONALLY BLANK



बुक पोस्ट

Book Post



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

ALLAHABAD BANK

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

If undelivered

Please return to our Registrar

M/s. M.C.S. Ltd.

77/2A, Hazra Road, Kolkata-700029